विधायक निधि कार्यादेश

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट

पत्रांक 1048 /02–विधायक निधि/कार्यादेश/2024–25. दिनांक 16 दिसम्बर 2024

श्री जगदीश चन्द्र पाठक,
सहायक खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड गंगोलीहाट।

मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ के स्वीकृति पत्र संख्या 2061/33–विधायक निधि/2024–25, दिनांक 07.12.2024 द्वारा विधायक निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 हेतु अग्रलिखित सूची के अनुसार योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सम्बन्धित योजनाओं के आगणन तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त कार्यालय में उपलब्ध हैं।

अतः आप स्वीकृत आगणन के अनुसार अग्रलिखित योजनाओं में तत्काल कार्य प्रारम्भ कर दें। योजना में भुगतान कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई) के तकनीकी मापांकन के उपरान्त किया जायेगा। वांछित कार्य कार्यादेश जारी होने की तिथि से 03 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

क्रम सं0	योजना का नाम	ग्राम पंचायत /क्षेत्र	मात्राकरण	स्वीकृत धनराशि	सांख्यिकी0 का नाम
1	ग्राम पंचायत नायल सार्वजनिक स्थल में टिन शैड निर्माण कार्य	नायल	सामान्य	200000	श्री जगदीश चन्द्र पाठक
2	ग्राम पंचायत रूगडी के लोक कोती में सी0सी0/खण्डजा निर्माण कार्य	रूगडी	सामान्य	100000	श्री जगदीश चन्द्र पाठक
3	ग्राम पंचायत सिमाली लोक भिड़काना में पेयजल मरम्मत कार्य	सिमाली	सामान्य	50000	श्री जगदीश चन्द्र पाठक
4	गणाई में नौला का नवनिर्माण कार्य	गणाई	सामान्य	100000	श्री जगदीश चन्द्र पाठक
5	ज्यूलियाखेत के गधेरे में पुलिया निर्माण कार्य	ज्यूलियाखेत	सामान्य	150000	श्री जगदीश चन्द्र पाठक

- **योजना के निर्माण से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लिया जाय :–**

1. कार्य विधायक निधि के अन्तर्गत प्रसारित मार्गनिर्देशों/मानकों के अनुसार कराना सुनिश्चित करें।
2. इस धनराशि का उपयोग किसी अन्य योजना में किये जाने पर अनियमितता मानी जायेगी तथा आपका उत्तरादायित्व निर्धारित किया जायेगा।
3. **योजना में अंतिम भुगतान योजना के पूर्ण होने पर सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियंता द्वारा योजनास्थल पर लिये गये 02 संयुक्त फोटोग्राफ प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त किया जायेगा।**
4. योजना में भुगतान प्राप्त करते समय कार्य के 02 जियोटैग फोटोग्राफ एवं नगर पंचायत से सम्बन्धित योजना के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गंगोलीहाट तथा ग्राम पंचायत से सम्बन्धित योजना के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/प्रधान/प्रशासक के हस्ताक्षर एवं मुहर होना अनिवार्य है, तदुपरान्त ही योजना में अंतिम भुगतान किया जायेगा।
5. क :– मा0 लोकायुक्त के शासनादेश सं0 537/XI/07/51 (01) 2007/ग्राम विकास अनुभाग/देहरादून दिनांक 23.07.2007 में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य का Detail Estimateबने जिसमें Detail Drawing and Specification अंकित हो तथा उस पर सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के हस्ताक्षर हों, और तद्पश्चात कार्य उसके अनुसार शत–प्रतिशत किया जाये। यदि कोई Variation(भिन्नता) हो तो सक्षम अधिकारी से Variation Statementतैयार कर Variation के कारण का औचित्य देते हुए Variation की स्वीकृत ली जाय। अंकित बिल के भुगतान से पहले Variation Statementकी स्वीकृति एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु गठित टीम द्वारा गुणवत्ता की जांच हो, तदुपरान्त भुगतान किया जाय।
   ख :– निर्माण कार्य हेतु टोली नायक/वर्कमेट उसी व्यक्ति को बनाया जाय, जिसे इस संबंध मे पर्याप्त अनुभव हो, साथ ही निर्माण कार्यों का समय–समय पर तकनीकी पर्यवेक्षण कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाय।
   ग :– सभी निर्माण कार्यों की ड्राईंग स्वीकृत होनी चाहिए तथा मा0 विधायक जी से भी उक्त ड्राइंग पर सहमति ली जानी चाहिए एवं उक्त स्वीकृत ड्राईंग के अनुसार ही कार्य पूर्ण होने चाहिए साथ ही निर्माण सम्बन्धी मानक निर्धारित कर उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/विभाग द्वारा नहीं कराया गया है/कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्व में किया गया है अथवा वर्तमान में कराया जा रहा है तो धनराशि वापस प्रेषित हेतु आख्या उपलब्ध करायी जाये तथा यदि योजना व्यक्तिगत लाभार्थी के लाभ हेतु प्रतीत होती है तो निर्माण कार्य सम्पादित न किया जाय।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य में लगाये गये श्रमिक किसी अन्य योजनान्तर्गत कार्य तो नहीं कर रहे हैं, भविष्य में इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आने पर कार्यादेश कार्मिक स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।
8. इस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिये कि चयन किये गये निर्माण कार्य के लिए अनिवार्यतः सरकारी भूमि ही हो, यह नगर पंचायत/नगर पालिका/पंचायती संस्थाओं, निजी न्यासों, व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्पित की गई है उसका उस भूमि को अभ्यर्पित करने का स्वामित्वाधिकार होना चाहिए। तहसील प्राधिकारियो को यथाशीघ्र सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय भूमि का अभ्यर्पण नियमों के अन्तर्गत हो जिस अभ्यर्पित/स्थानान्तरित भूमि का अभ्यर्पण किया गया हो अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार भूमि अभ्यर्पण जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त पद्धति का तब तक पर्याप्त समझा है जब तक अभ्यर्पण कानूनी वैधता प्राप्त करे, साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी जिसके लिए निर्माण कार्य किया गया है।
9. इस योजना के अन्तर्गत आने वाले किसी भी कार्य के लिए आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है यह भी प्रयास हो कि इस निधि से प्रस्तावित कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाय।
10. योजना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यस्थल पर योजना का मार्बल साइन बोर्ड जिसमें मा0 विधायक का नाम, योजना की लागत, योजना का नाम, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि तथा स्वीकृति वर्ष अंकित हो, अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाना आवश्यक होगा। बोर्ड स्थापित होने के उपरान्त बोर्ड सहित योजना पूर्ण होने का जियोटैग फोटोग्राफ कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
11. योजना को पूर्ण करने के उपरान्त योजना को सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/विभाग/ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करना अनिवार्य होगा जिसका उल्लेख कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मे किया जायेगा।

खण्ड विकास अधिकारी
गंगोलीहाट

Scanned with CamScanner

12. इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के रख–रखाव और अनुश्रवण की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा सम्बद्ध अभिकरण द्वारा की जायेगी।
13. सामग्री के क्रय के लिये वित्तीय नियमों तथा स्टोर पर्चेज रूल्स एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जाय।
14. स्वीकृत योजना हेतु कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता द्वारा यदि रू0 25000.00 से अधिक की सामग्री का मापांकन/मूल्यांकन किया गया हो तो सामग्री क्रय हेतु अनिवार्य रूप से कोटेशन प्राप्त करने के उपरान्त ही न्यूनतम दरों में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्म से ही सामग्री क्रय की जाय।
15. इस योजनान्तर्गत चयनित कार्य एवं स्थान को मा0 विधायक जी की सहमति एवं मुख्य विकास अधिकारी की स्वीकृति के बिना परिवर्तित नही किया जायेगा।
16. उक्त निर्माण कार्य तीन महिने के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय।
17. विधायक निधि योजना के अन्तर्गत किये गये सभी कार्यों पर वित्तीय नियमों बजट मैनुवल और लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रक्रियाएं मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं शासन द्वारा जारी तद्विषयक शासनादेशों का पालन किया जाय।
18. विधायक निधि के अधीन किसी योजना विशेष हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय होने पर अवशेष धनराशि पुन वापस की जायेगी। योजना में स्वीकृत धनराशि से अधिक की धनराशि का भुगतान इस स्तर से नहीं किया जायेगा।
19. इस निधि के अन्तर्गत कार्य की लागत से कम व्यय होने पर बचत की धनराशि किसी औचित्यपूर्ण कारण से अप्रयुक्त धनराशि तथा व्याज की धनराशि को प्रत्येक दशा मे राजकोष मे जमा किया जाना होगा।
20. विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों की अनुश्रवण व्यवस्था हेतु MIS एवं Geotaggingकी व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये।
21. योजनान्तर्गत किये गये समस्त कार्यों का सामाजिक सम्प्रेक्षण (Social Audit) कराया जाना अनिवार्य होगा।
22. मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की कार्यकारिणी को इस प्रतिबन्ध के साथ कि कार्य का आगणन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र किसी सक्षम स्तर के अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो, के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
23. व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेंट रूल्स 2008 एवं 2017 तथा अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
24. शासन स्तर से समय–समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में जी0एस0टी0/टी0डी0एस0/रॉयल्टी/खनिज न्यास करों की कटौती नियमानुसार सुनिश्चित की जाये।
25. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ, आधा कार्य पूर्ण करने के उपरान्त के फोटोग्राफ तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त के फोटोग्राफ लिये जायें। उक्त फोटोग्राफ जियोटैग के लिये जाने अनिवार्य हैं। कार्य के फोटोग्राफ प्रस्तुत करने तथा मूल्यांकन/मापन होने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सम्भव होगा। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित कनिष्ठ एवं अपर सहायक अभियन्ता (ग्रामीण निर्माण विभाग) से तकनीकी परामर्श प्राप्त कर लिया जाय।
26. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माणधीन योजना वन भूमि न हो एवं स्वामित्व विवाद न हो।
27. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संदर्भित योजना जल जीवन मिशन या अन्य विभाग द्वारा निर्मित न की जा रही हो।

संख्या 1048 /02–विधायक निधि/कार्यादेश/2023–24, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अनुपालनार्थ एवं सादर सूचनार्थ प्रेषित :–

1. सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड गंगोलीहाट।
2. प्रशासक, सम्बन्धित ग्राम पंचायत, विकास खण्ड गंगोलीहाट।
3. कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई), विकास खण्ड गंगोलीहाट को उपरोक्तानुसार परिपालनार्थ तथा इस निर्देश के साथ कि अपने तकनीकी निर्देशन में ससमय कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। योजना के सघन निरीक्षण के उपरान्त आपके द्वारा किये गये वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ही योजना में भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
4. जिला विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
5. मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

खण्ड विकास अधिकारी
गंगोलीहाट

प्रतिलिपि :– मा0 विधायक, विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खण्ड विकास अधिकारी
गंगोलीहाट

Scanned with CamScanner